

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3515-दो/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 24-7-2013
पारित द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 43/अ-74/2012-13

.....

श्रीमती सुनीता पति कमलसिंह बिलोनिया
निवासी ग्राम मोरोद, तहसील व जिला इंदौर

..... आवेदिका

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे तहसीलदार इंदौर

..... अनावेदक

— — —

श्री दिनेश कारपेंटर, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

— — —

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/10/15 को पारित)

आवेदिका ने यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार इंदौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माचला तहसील इंदौर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247 एवं 248 हरिजन भूमि सोसायटी एवं ग्राम स्वराज्य सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर प्रदान की गई थी, जो बाद के वर्षों में भूमिहीन व्यक्तियों/शासकीय पट्टेदारों द्वारा भूमि अहस्तान्तरणीय स्वरूप की होने के उपरांत






भी बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के अवैधानिक रूप से विक्रय कर दी गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर से पट्टेधारियों का स्वत्व समाप्त करते हुये मध्यप्रदेश शासन के नाम वैष्टित की जाये । तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ-74/12-13 दर्ज किया जाकर दिनांक 24-7-2013 को आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों से पट्टेधारियों के स्वत्व समाप्त कर राजस्व अभिलेखों से उनके नाम कम करते हुये मध्यप्रदेश शासन के नाम से वैष्टित किये जाने के आदेश दिये गये और यह भी निर्देश दिये गये कि तहसीलदार इंदौर प्रश्नाधीन भूमियों का कब्जा शासन हित में प्राप्त कर मौका पंचनामा तैयार कर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कर एक प्रति कलेक्टर जिला इंदौर को भिजवाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर इंदौर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) आवेदिका की ओर से सूचना पत्र दिनांक 25-3-13 का उत्तर प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया था कि सूचना पत्र के साथ आधारभूत दस्तावेज की प्रतियाँ नहीं दी गई है, इस कारण प्रतिरक्षण संभव नहीं है और प्रश्नाधीन भूमियों आवेदिका के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कय की गई है और वह सद्भाविक केता है और उसे सुने बगैर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, परन्तु कलेक्टर द्वारा उनके दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया गया ।

(2) राजस्व मण्डल द्वारा इसी ग्राम के इसी तरह के प्रकरण में प्रस्तुत निगरानी में कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश व उनके निष्कर्षों को अपास्त किया गया है अतः इस आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

(3) पट्टेधारियों को जो पट्टे जारी किये गये हैं यद्यपि उनमें दिनांक का उल्लेख नहीं है परन्तु वे पट्टे वर्ष 1973-74 के आस-पास जारी हुये हैं और आवेदिका व उसके पूर्व हितधारी द्वारा नियत समयावधि में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया




गया है। इस कारण पट्टेदारों को अधिपति कृषक के अधिकार व हैसियत प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा अधिपति कृषक भूमिस्वामी अधिकार अपने आप प्राप्त कर लेता है ।

(4) संहिता की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत पट्टा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् पट्टेधारी भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और उसे विक्रय के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की जानकारी तहसीलदार को रही है क्योंकि तहसीलदार द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत् नामान्तरण की कार्यवाही संशोधित की गई है । अतः यदि पूर्व हितधारियों को स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ था, तब तहसीलदार को से उसी समय नामान्तरण अस्वीकार कर देना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार द्वारा भूमिस्वामी के अधिकारों को मान्यता देकर नामान्तरण किया गया है, अतः तहसीलदार उक्त नामान्तरण को प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं । कलेक्टर द्वारा आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क के समर्थन में 1993 आरएन 194, 2004 आरएन 183 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं ।


4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में अहस्तान्तरणीय दर्ज थी, इसके बावजूद भी पट्टेदार द्वारा भूमि का विक्रय बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिये आवेदिका को किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक विक्रय है और ऐसे विक्रय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज आवेदिका का नाम निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विक्रय करने से संहिता की धारा 165(7)(ख) का उल्लंघन हुआ है । संहिता की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत विक्रेता पट्टेधारी को सक्षम अधिकारी को अनुमति लेना चाहिये थी, जो कि नहीं ली गई है, इस कारण कलेक्टर द्वारा पट्टेधारी के स्वत्व समाप्त कर भूमि शासकीय घोषित करने में पूर्णतः विधिअनुकूल कार्यवाही की गई है । अतः कलेक्टर

002 IP

002 IP

द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज्य सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पटटे पर प्रदाय की गई है । भूमियाँ अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद संस्था के भूमिहीन सदस्य पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदिका को किया गया है। संहिता की धारा 165-7(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि पटटे की भूमि अहस्तान्तरणीय है और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट है कि पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय में संहिता की धारा 165-7-ख का उल्लंघन किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदिका का स्वत्व समाप्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमियाँ शासकीय घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, क्योंकि इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वामित्व की भूमि है और ना ही आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को अनुमति लिये जाने संबंधी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ किस व्यक्ति को कब पटटे पर प्रदान की गई थी और उसका प्रथम अंतरण कब और किसको हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये जो निष्कर्ष निकाला गया है, वही न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू होंगे । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संबंध में जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि जहाँ विधि में आज्ञापक प्रावधानों का उल्लेख है और उसका उल्लंघन




हुआ है, वहाँ न्यायदृष्टांतों से पक्षकार को लाभ दिया जाना वैधानिक एवं न्यायोचित नहीं है । वैसे भी उक्त न्यायदृष्टांतों को लागू होने के लिये आवेदक ने पर्याप्त साक्ष्य जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है, प्रस्तुत नहीं किये हैं । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 3511-दो/2013, प्र.क्र.निगरानी 3512-दो/2013, प्र.क्र.निगरानी 3513-दो/2013, प्र.क्र.निगरानी 3516-दो/2013, प्र.क्र.निगरानी 3517-दो/2013 एवं प्र.क्र.निगरानी 4147-दो/2013 पर भी लागू होगा ।
अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।


(मनीज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर